भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 538
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तंजावुर हवाई अड्डे का उन्नयन

538. श्री मुरसोली एस.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तंजावुर हवाई अड्डे के विस्तार और उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या तंजावुर हवाई अड्डे के लिए उड़ान योजना के तहत उड़ानों और उड़ान ऑपरेटरों को मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार की उक्त हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): तंजावुर हवाईअड्डे का स्वामित्व और प्रचालन भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के पास हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन, कार पार्क, नए एप्रन आदि से युक्त सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 56.16 एकड़ भूमि है। तथापि एनएच 36 से सीधे 4 लेन के पहुंच मार्ग की आवश्यकता है, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने और उसका निर्माण करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने के पश्चात भाविप्रा द्वारा सिविल एन्क्लेव का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है।

(ख) और (ग): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के दूसरे दौर के दौरान, तंजावुर (तंजौर) हवाईअड्डे को विकास और उड़ानों के परिचालन के लिए चिह्नित किया गया था। उड़ान 4.2 के दौरान तंजावुर को चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने वाले मार्गों का परिचालन 9 सीटों वाले विमान का उपयोग करते हुए एयर टैक्सी को आवंटित किया गया है। एयरलाइन हवाईअड्डे के तैयार होने पर, तंजावुर हवाईअड्डे से परिचालन शुरू कर सकती है।

(घ) और (ङ) : चूंकि सिविल एन्क्लेव का निर्माण एनएच-36 से तंजावुर हवाईअड्डे तक सीधे पहुंच मार्ग की उपलब्धता पर निर्भर है, जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा सुलभ बनाया जाना है, अतः वर्तमान में संयुक्त सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

******